आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 123/13–14

विष्णुदयाल सिंह एवं अन्य वनाम् लोहड़ी सिंह एवं अन्य

आदेश

5-07-14

आवेदकगण विष्णुदयाल सिंह एवं मंगल दयाल सिंह दोंनों पिता स्व० सीताराम गोप निवासी ग्राम मोकरी थाना वो अंचल वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का नापी कराकर चिन्हित एवं प्रश्नगत् भूमि के अंश से विपक्षी का कब्जा हटाने एवं दखल कब्जा के प्रयास से रोकने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम फेकू बिगहा थाना वो अंचल वो जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न हैः–

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहद्दी
02	31	कुल रकवा 1 विगहा 16 कट्ठा 3 धूर में से 35 फीट चौड़ा एवं 70 फीट लम्बा जानिब दक्षिण पश्चिम तरफ एवं 10 फीट चौड़ा 30 फीट लम्बा उतर पश्चिम तरफ	उ०–नीज द०–करहा पु०– नीज प०–आम गैरमजरूआ जमीन पर विपक्षी का मकान

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं विवादित जमीन का नापी सर्वे जानकार अधिवकता आयुक्त से करायी गयी। अधिवक्ता आयुक्त ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत् भूमि में विपक्षी का मकान नहीं पाया गया,विपक्षी का मकान सर्वे छौर पर अवस्थित है। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट किया गया। चूँकि विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत् भूमि का कोई अंश कब्जा नही किया गया है,वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

5.07

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

5.07

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।